



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 5644/अकादमी/2020

भोपाल, दिनांक 09.10.2020

अधिसूचना

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के (1) पत्र क्र. 777/290/आउशि/शा-5'अ' /2020 दिनांक 06.10.2020 (2) क्र. 775/140/आउशि/शा-5'अ' /2020 दिनांक 06.10.2020 के तारतम्य में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.10.2020 के निर्णयानुसार सत्र 2020-21 हेतु परम्परागत पाठ्यक्रमों (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) में अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय 30 प्रतिशत या आवश्यकतानुसार वृद्धि करने हेतु :-

- (1) निर्धारित शुल्क रु.3000/- के साथ ऑन-लाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा । (स्नातक रु. 3000/-/स्नातकोत्तर रु.3000/-)
- (2) महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा वृद्धि की गई सीटों हेतु छात्रों को बैठने तथा अध्यापन हेतु शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक की सुविधायें महाविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा इस आशय का शपथ पत्र भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।


आदेशानुसार


कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 09.10.2020

पृ.क्रमांक 5645/अकादमी /2020
प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त निजी एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ ।
2. कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी,आई.टी. सेल की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु ।
4. संबंधित नस्ती ।


सहायक कुलसचिव अकादमी